

फर्द अहकाम

मोहनी

बनाम

रामरेव

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.8.28	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थना उपस्थित। पक्ष प्रार्थना पत्र पूर्व में सुनी गयी। सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रार्थना पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपर्युक्त स्तानों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09.12.28 व 15.12.28 की स्वीकार किया जाकर मूल वाद की पुनः नंबर पर लिखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। मूल पत्रावली तलब करने हेतु उपखण्ड अधिकारी सांभार के तहसीर जारी है। पत्रावली मौसल सुनार हीकर नंबर से कम हीकर राखित रहने के लिए।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर